राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1892/2013/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ब्यूटी ज्वैलर्स, सरदारपुरा, 'बी' रोड़, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 32/2014/जोधपुर.

मैसर्स ब्यूटी ज्वैलर्स, सरदारपुरा, 'बी' रोड़, जोधपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, जोधपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री दीपचंद माली, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 01/04/2015

निर्णय

1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 5/आरवेट/जेयूडी/13–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 में पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2013 के विरूद्ध अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 15,870/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–39 दिनांक 6.5.2006 के अधीन सर्राफा व्यवहारियों के लिये जारी प्रशमन योजना में विकल्पधारक है। व्यवसायी ने चारों त्रैमास की देय प्रशमन राशि विलम्ब से जमा करवायी है। कम्पोजिशन स्कीम की शर्तों के अनुसार वर्ष 2007–08 के पश्चात कम्पोजिशन स्कीम की गणना गत वर्ष की कम्पोजिशन राशि में 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर की जावेगी। व्यवसायी द्वारा गत वर्ष 2009–10 में रूपये 1,10,400/– कम्पोजिशन राशि के जमा करवाये गये। अतः आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 में प्रशमन राशि रूपये 1,10,400/– की 15 प्रतिशत 16560 + 110400 = 1,26,960/– रूपये होगी। इसके अलावा देय प्रशमन राशि 31 दिसम्बर तक जमा करवाने पर कम्पोजिशन राशि की 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क परन्तु 31 मार्च के पहले जमा करवाने पर

लगातार.....2

कुल कम्पोजिशन राशि के 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करवानी होती है। व्यवसायी को विलम्ब से जमा राशि के लिये विलम्ब शुल्क आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसका व्यवसायी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि व्यवसायी द्वारा समस्त प्रशमन राशि 24.3.2011 को अर्थात् 31 मार्च से पूर्व जमा करवायी गयी है अतः कम्पोजिशन स्कीम की शर्तों के अनुसार कुल देय प्रशमन राशि रूपये 1,26,960/— की 50 प्रतिशत रूपये 63,480/— रूपये विलम्ब शुल्क के आरोपित किये जाते हैं। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी का आलौच्य अवधि वर्ष 2010—11 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2013 को पारित करते हुए प्रशमन राशि रूपये 1,26,960/— एवं प्रशमन योजना के क्लॉज 4.1 के अनुसार 4 त्रैमासिक किश्तों में प्रशमन राशि जमा कराने का दायित्व ठहराते हुए विलम्ब से प्रशमन राशि जमा कराने के कारण क्लॉज 5.4 की पालना में विलम्ब शुल्क का आरोपण चारों त्रैमास के लिये रूपये 63,480/— आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने वर्ष 2010—11 के अन्तिम त्रैमास के लिये विलम्ब शुल्क के आरोपण का प्रावधान नहीं होना अभिनिर्धारित करते हुए अन्तिम त्रैमास का विलम्ब शुल्क रूपये 15,870/— अपास्त किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय अपील के विरूद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत किये गये हैं।

3. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक कर निर्धारण अधिकारी का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिये अपनी चतुर्थ तिमाही का कर व 50 प्रतिशत शास्ति राशि जमा कराया जाना आवश्यक है। जबकि व्यवहारी ने कर व शास्ति जमा नहीं कराया है। अतः अपीलीय अधिकारी का निर्णय अविधिक होने से निरस्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्राफा व्यवहारियों के लिये जारी प्रशमन योजना—2006 का भी अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. सर्राफा व्यवहारियों के लिये जारी प्रशमन योजना–2006 दिनांक 06.05.2006 के क्लॉज 4.1, 4.2 व 5.4 का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार हैं :–

4.0 Manner of payment of Composition Amount:

4.1 Where the annual composition amount is less than Rs. 1.20 lac. it shall be paid in four quarterly installments. the installment for the period April 1 to June 30, shall be paid by 7th April; for the period July 1 to September 30 by 7th July: for the period October 1 to December 31 by 7th October; and for the period January 1 to 31 March by the 7th January. The difference, if any, as per the actual turnover of whole of the year shall be calculated and the balance of the composition amount, if any, shall be deposited by April 30th, of the immediately succeeding year.

4.2 where the annual composition amount is Rs 1.20 lac or more, it shall be paid in twelve equal monthly installments and shall be deposited up to the 7th day of every month starting from April of the relevant year. The difference, if any, as per actual turnover of whole year shall be calculated and balance of the composition amount, if any, shall be deposited or refunded by April 30th of the immediately succeeding year.

5.4 Where a dealer has failed to deposit the composition amount in the period specified under the Scheme, he shall be allowed to continue to avail the benefits of the Scheme on fulfillment of the following conditions, namely: -

(i) he shall deposit the whole of the amount which has become due under the Scheme along with the interest thereon at the rate notified under the said Act; and

(ii) he shall also deposit a late fee, amounting to twenty five percent of the due composition amount required to be deposited under the Scheme where he deposits the due installments by December 31st, and this late fee shall be fifty percent of due amount if he deposits the due installments after December 31 but before March 31, of the relevant financial year.

7. योजना–2006 के क्लॉज 4.2 के पठन से स्पष्ट है कि वार्षिक प्रशमन राशि रूपये 1.20 लाख से ज्यादा होने की स्थिति में प्रशमन राशि प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा कराने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी व्यवहारी की वार्षिक प्रशमन राशि रूपये 1,26,960/– है, अतः तदनुसार दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये।

लगातार.....4

8. कर निर्धारण अधिकारी ने प्रशमन राशि का भुगतान क्लॉज 4.1 में त्रैमासिक जमा कराने का दायित्व मानते हुए किया है, जो अधिसूचना के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

9. अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना–2006 के क्लॉज 4.2 व 5.4 के संयुक्त पठन के पश्चात प्रशमन राशि, ब्याज व देय विलम्ब शुल्क की गणना करते हुए विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

10. परिणामस्वरूप प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उक्तानुसार अपीलार्थी विभाग की अपील एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रॉस–ऑब्जेक्शन्स का निस्तारण किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 01.04.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य